

बिहार सरकार,  
कृषि विभाग।

पत्र संख्या- पी0पी0एम0-87/2016 85 /कृ0, पटना, दिनांक-21-01-2017

प्रेषक,

सुधीर कुमार,  
प्रधान सचिव  
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,  
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

(1) अनौपचारिक रूप से परामर्शित। द्वारा : वित्त विभाग, बिहार, पटना। (+)

विषय : वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य योजना मद से Vegetable Initiative for Urban Clusters (VIUC) कार्यक्रम के लिए 575.00 लाख (पाँच करोड़ पहत्तर लाख) रुपये के लागत पर योजना कार्यान्वयन एवं व्यय की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य योजना मद से Vegetable Initiative for Urban Clusters (VIUC) कार्यक्रम के लिए 575.00 लाख (पाँच करोड़ पहत्तर लाख) रुपये के लागत पर योजना कार्यान्वयन एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. इस योजना के तहत जैविक विधि से सब्जी की खेती को प्रोत्साहित किया जाता है। जैविक विधि से उत्पादित सब्जी मानव एवं पशु स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। योजना के तहत संकर प्रभेद एवं खुला परागण प्रभेद के सब्जी खेती हेतु सब्जी बीज, जैव उपादान, जैव रसायन, इत्यादि कृषकों को अनुदानित दर पर उपलब्ध कराया जाना है।

भारत सरकार द्वारा योजनान्तर्गत संकर प्रभेद की सब्जी खेती का इकाई लागत 45,000/- रुपये प्रति हेक्टेयर तथा खुला परागण प्रभेद के सब्जी खेती का इकाई लागत 30,000/- रुपये प्रति हेक्टेयर निर्धारित है। योजना के तहत उक्त इकाई लागत का 75 प्रतिशत एवं अन्य घटकों के लिए MIDH के अनुरूप 50 प्रतिशत देय सहायतानुदान अनुमान्य है। सब्जी की खेती को बढ़ावा देना, कृषि रोड मैप का एक प्रमुख लक्ष्य है। सब्जी की खेती से किसानों की आय में वृद्धि होती है। ये फसलें मानव के संतुलित आहार के लिए आवश्यक हैं तथा अतिरिक्त रोजगार सृजन का एक प्रमुख स्रोत है।

3. वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य के तीन जिलों यथा-मुजफ्फरपुर, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) तथा समस्तीपुर में योजना का कार्यान्वयन कराया जाना है। राज्य योजना मद के अन्तर्गत Vegetable Initiative for Urban Clusters (VIUC) का 2016-17 के लिए स्वीकृत कार्यक्रम अनुसूची-1, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एवं मदवार विवरणी अनुसूची-2 तथा जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनुसूची-3 पर संलग्न है।

4. कृषि के सर्वांगीण विकास के लिए कृषि रोड मैप योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है। कृषि रोड मैप में बागवानी विकास को काफी प्रमुखता दी गयी है।

5. वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य योजना मद से Vegetable Initiative for Urban Clusters (VIUC) कार्यक्रम NHM जिलों में कार्यान्वित करने हेतु माननीय कृषि, मंत्री द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है। जिसमें NHM जिलों में से यथा-मुजफ्फरपुर, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) तथा समस्तीपुर जिलों में मो० 575.00 लाख रुपये के लागत पर योजना कार्यान्वयन करने हेतु स्वीकृत किया गया है। इस योजना का कार्यान्वयन संबंधित जिला के सहायक निदेशक, उद्यान द्वारा किया जायेगा।

6. इस योजना के राज्य स्तर के सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, उद्यान होंगे।

7. Vegetable Initiative for Urban Clusters (VIUC) के तहत राज्य योजना मद में बजट उपबंध की सीमा में स्वीकृत राशि कृषि विभाग द्वारा संबंधित सहायक निदेशक उद्यान को विमुक्त किया जायेगा। अनुदान राशि का भुगतान DBT के माध्यम से किया जायेगा।

8. योजना कार्यान्वयन के संबंध में यथा आवश्यक संशोधन प्रशासी विभाग द्वारा किया जा सकेगा। वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य योजना मद से Vegetable Initiative for Urban Clusters (VIUC) कार्यक्रम NHM जिलों में कार्यान्वित करने हेतु माननीय कृषि, मंत्री द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है।


9. बजट शीर्ष एवं बजट उपलब्धता निम्न प्रकार है, (राशि लाख रु० में)

| बजट शीर्ष   | उपबंधित राशि   | स्वीकृत राशि  |
|---|----------------|---------------|
| मुख्य शीर्ष 2401 फसल कृषि कर्म उपमुख्य शीर्ष 00-लघु शीर्ष-119 बागवानी तथा वनस्पति फसलें माँग संख्या-1 उपशीर्ष-0101- उद्यान विकास योजना विपत्र कोड- P2401001190101, विषयशीर्ष 31 06- सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा               | 6696.71        | 448.50        |
| मुख्य शीर्ष 2401 फसल कृषि कर्म उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना माँग संख्या-1 उपशीर्ष-0130 उद्यान विकास योजना, विपत्र कोड- P2401007890130, विषयशीर्ष 31 06-सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा | 1717.11        | 115.00        |
| मुख्य शीर्ष 2401 फसल कृषि कर्म उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-796- जनजातीय क्षेत्र उप योजना, माँग संख्या-1 उपशीर्ष 0152 उद्यान विकास योजना विपत्र कोड- P2401007960152, विषयशीर्ष 31 06- सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा               | 171.71         | 11.50         |
| <b>राज्यांश</b>   | <b>8585.53</b> | <b>575.00</b> |


10. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना संख्या 602 दिनांक 20.3.2007 एवं वित्त विभाग के संकल्प संख्या-96 वि० (2) दिनांक 03.01.08 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त योजना के कार्यान्वयन में स्थायी वित्त समिति की स्वीकृति दिनांक 06.12.2016 को प्राप्त है। तत्संबंधी बैठक की कार्यवाही संचिका संख्या-पी०पी०एम०-87/2016 के पृ०सं०-33/प० पर रक्षित है तथा माननीय कृषि मंत्री का अनुमोदन 06/टि० पर प्राप्त है।

11. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या- 7355 वि० (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

12. राज्यादेश में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या- पी०पी०एम०-87/2016 के पृ०सं०-08/टि० पर दिनांक: 06.01.2017 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


  
11.1.2017  
(सुधीर कुमार)

प्रधान सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।




ज्ञापांक- पी०पी०एम०-87/2016- 85 /कृ०, पटना दिनांक-11-01-2017  
प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले. एवं ह.), बिहार, वीरचन्द पटेल  
पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
11.1.2017


प्रधान सचिव,  
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- पी०पी०एम०-87/2016- 85 /कृ०, पटना दिनांक-11-01-2017  
प्रतिलिपि:- योजना एवं विकास विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग एवं वित्त विभाग,  
बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
11.1.2017

प्रधान सचिव,  
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- पी०पी०एम०-87/2016- 85 /कृ०, पटना दिनांक-11-01-2017  
प्रतिलिपि:- सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु  
प्रेषित।

  
11.1.2017

प्रधान सचिव,  
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- पी०पी०एम०-87/2016- 85 /कृ०, पटना दिनांक-11-01-2017  
प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के प्रधान आप्त  
सचिव/प्रधान सचिव, कृषि विभाग के आप्त सचिव/ कृषि निदेशक/निदेशक, पी०पी०एम०/  
निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्प)/ सभी उप कृषि  
निदेशक, प्रक्षेत्र/सभी उप निदेशक, उद्यान/संबंधित सहायक निदेशक, उद्यान/योजना शाखा,  
सचिवालय एवं कृषि निदेशालय, कृषि विभाग, बिहार, पटना/उप निदेशक (शष्प) सूचना, बिहार,  
पटना को (विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु  
प्रेषित।

  
11.1.2017

प्रधान सचिव,  
कृषि विभाग, बिहार, पटना।





अनुसूची-1

**Annual Action Plan**

**Vegetable Initiative for Urban Clusters (VIUC) State Plan**

**Financial Year 2016-17 (Phy. in Nos. Ha, Fin in Lakh ₹)**

| Sl. No.   | Component  | Unit   | Maximum permissible unit cost as per MIDH/VIUC* Norms | Proposed Assistance as per MIDH/VIUC* Norms                                | Target |         | Remark |
|---|--|--------|---|--|--------|---------|--------|
|   |  |        |   |  | Phy.   | Fin.    |        |
| 1   | 2  | 3      | 4   | 5  | 6      | 7       | 8      |
| 1   | <b>Vegetable Cultivation</b>   |        |   |  |        |         |        |
| i   | Open Field   | Ha.    | ₹30000.00*  | 75% of the cost Max @ ₹22500/ha.*  | 1,200  | 270.000 |        |
| ii  | Hybrid Veg.  | Ha.    | ₹45000.00*  | 75% of the cost Max @ ₹33750/ha.*  | 600    | 202.500 |        |
| 2   | <b>Protected Cultivation</b>   |        |   |  |        |         |        |
| A   | Green house structure (Naturally ventilated system)                    | Sq. mt | ₹935.00/Sq. mt.                                       | 50 % of the cost limited to 4000 sq. mt. per beneficiary @ ₹467.50/Sq. mt. | -      | -       |        |
| B   | Shade net (Tubular structure)  | Sq. mt | ₹710.00/Sq. mt.                                       | 50 % of the cost limited to 4000 sq. mt. per beneficiary @ ₹355.00/Sq. mt. | -      | -       |        |
| C   | Walk in Tunnel   | Sq. mt | ₹600.00/Sq. mt.                                       | 50 % of the cost limited to 4000 sq. mt. per beneficiary @ ₹300.00/Sq. mt. | -      | -       |        |
| D   | Cost of Planting material of high value vegetables grown in poly house | Sq. mt | ₹140.00/Sq. mt.                                       | 50 % of the cost limited to 4000 sq. mt. per beneficiary @ ₹70.00/Sq. mt.  | -      | -       |        |
| 3   | <b>Integrated Post Harvest Management</b>                              |        |   |  |        |         |        |
| A   | Low cost onion storage structure (25 MT)                               | No.    | ₹1.75 Lakh/ Unit                                      | 50 % of the cost Max. @ ₹87,500/unit.                                      | 105    | 91.875  |        |
| 4   | <b>Human Resource Development (HRD)</b>                                |        |   |  |        |         |        |
| A   | Exposure visit of farmers  | No.    | Project based   | 100% of the Project cost.  |        | 10.625  |        |
| 1   | Outside the State  |        |   |  | 1905   | 575.000 |        |
| <b>Grand Total</b>                                    |  |        |   |  |        |         |        |
| * Unit Cost & Proposed Subsidy as per VIUC Guideline. |  |        |   |  |        |         |        |

*(Handwritten signature)*



## अनुसूची-2

वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य योजना मद से **Vegetable Initiative for Urban Clusters (VIUC)** कार्यक्रम अन्तर्गत राज्यांश मद से 575.00 लाख रुपये की निकासी हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एवं मदवार विवरणी

राशि (रुपये में)

| क्र. सं. | जिला का नाम               | निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी                     | राज्यांश           |                     |                      | योग         |
|----------|---------------------------|--|--------------------|---------------------|----------------------|-------------|
|          |                           |  | सामान्य वर्ग (78%) | अनुसूचित जाति (20%) | अनुसूचित जनजाति (2%) |             |
| 1        | मुजफ्फरपुर                | सहायक निदेशक उद्यान, मुजफ्फरपुर                | 14946750.00        | 3832500.00          | 383250.00            | 19162500.00 |
| 2        | पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) | सहायक निदेशक उद्यान, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) | 14946750.00        | 3832500.00          | 383250.00            | 19162500.00 |
| 3        | समस्तीपुर                 | सहायक निदेशक उद्यान, समस्तीपुर                 | 14956500.00        | 3835000.00          | 383500.00            | 19175000.00 |
| कुल योग  |                           |  | 44850000.00        | 11500000.00         | 1150000.00           | 57500000.00 |

(मो० पाँच करोड़ पचहत्तर लाख रुपये में)

